

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय-सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

करण संख्या-147/2022 दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी



1-शकिला कुमारी पत्नी राकेशकुमार जाति जाट निवासी दीनगढ़ तह0 संगरिया (डिलिट)
1/1-सरोज पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन संगरिया 2-सतिन्द्रकौर पत्नी
गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

.....वादीगण

बनाम

1-मुकेश कुमार पुत्र जगदीशराम 2-रामसिंह पुत्र जगदीशराम जाति जाट निवासी दीनगढ़
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 3-देवेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह 4-मनदीपसिंह
पुत्र वीरसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया 5-विजेन्द्रकुमार पुत्र दुर्गाराम
6-सीटू पुत्र ओमप्रकाश 7-हरजीराम पुत्र पप्पूराम 8-सुखदेव पुत्र रिछपाल 9-फताराम पुत्र
अंगदराम 10-राजेन्द्र पुत्र अंगदराम 11-रणजीत पुत्र देववृत् 12-सुरेन्द्र पुत्र देववृत् जाति
जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया 13-हररीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन
दीनगढ़ (मुत) 13/1-विनोद कड़वासरा पुत्र लालाराम पुत्र हररीराम जाति जाट साकिन
हाउस नं. 6/76 के एस पी कॉलोनी हनुमानगढ़ संगम 14-तहसीलदार राजस्व संगरिया।

.....प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक: 24.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादीगण मिन जानिब मुदई प्रति0 सं0 3, 4 श्री नक्षत्रसिंह सिद्ध वकील पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार भूअ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग-अलग से कायम करके विवादित खाते को सही करने के आदेश दिये जाते है।

(1) देवेन्द्रसिंह व मन्दीपसिंह पुत्रगण वीरसिंह जाति जटसिख सा0 संगरिया की कब्जा काश्त चक नम्बर 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 78/55

प.न. मु.न. कि.न.

178/148 15 2,8,9,12,13/1.265 कुल रकबा 1.265 है.

(2) रामसिंह पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्त

चक नम्बर 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 78/55

प.न. मु.न. कि.न.

177/148 16 6,15,16,25/1.012 कुल रकबा 1.012 है.

(3) मुकेशकुमार पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्त

चक नम्बर 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 78/55

प.न. मु.न. कि.न.

178/148 15 10,11,20,21/1.012 कुल रकबा 1.012 है.

शेष पृष्ठ 2 पर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



सरोज पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन संगरिया की कब्जा :
चक नम्बर 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 78/55

प.न.	मु.न.	कि.न.
178/148	15	18,19,22,23/1.012
178/149	22	1/1/0.114 (उत्तर से दक्षिण पूर्वी पासा), 1/2/0.013 गै0मु0रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै0मु0रास्ता कुल रकबा 1.392 है. मय गै0मु0 रास्ता

(5) सतिन्द्रकौर पत्नी गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ की कब्जा काश्त
चक नम्बर 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 78/55

प.न.	मु.न.	कि.न.
177/148	16	13,14,17,18,23,24/1.518
177/149	21	4/1/0.228, 4/2/0.025 गै0मु0रास्ता 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै0मु0रास्ता
178/149	22	1/1/0.114 (उत्तर से दक्षिण पश्चिमी पासा), 1/2/0.012 गै0मु0रास्ता कुल रकबा 2.150 है. मय गै0मु0 रास्ता



उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ. संगरिया के पत्र क्रमांक डिक्री/भूअ./2024/2315 दिनांक 21/06/24 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज..........निल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024 को जारी किया गया

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकाारी संगरिया